परमोद कोहली, न्यायाधीश के समक्ष।

लोह कॉन्टिनेंटल फूड्स लिमिटेड,—आवेदक

बनाम

पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड (विघटन में) और अन्य,—प्रतिवादी

सी.ए. संख्या **865** का **2006** सी.पी. संख्या **226** का **1999**

14 मार्च, **2008**

भारत के संविधान, **1950**—अनुच्छेद **226**—कंपनी अधिनियम, **1956**—धारा **446**—पंजाब क्षेत्रीय और टाउन प्लानिंग और विकास अधिनियम, **1955**—धारा **45**—एक कंपनी की संपत्ति और संपत्तियों की नीलामी जो लिक्विडेशन में है—आवेदक को उच्चतम बोली लगाने वाले के रूप में सफल बोलीदाता घोषित किया गया—शेष राशि की जमा—कब्जा सौंपने में देरी—पुडा द्वारा **1995** के अधिनियम की धारा **45** के तहत संपत्ति की फिर से शुरूआत—धारा **45** के तहत **E.O.** पुडा द्वारा फिर से शुरूआत का आदेश पारित करने का अधिकार क्षेत्र—उपयोग केवल कंपनी कोर्ट की अनुमति के साथ—लिक्विडेशन में कंपनी द्वारा आदेश पारित होने की तारीख को रखी गई संपत्ति—कंपनी अधिनियम की धारा **446** के प्रावधान प्रबल होते हैं—**1995** के अधिनियम की धारा **45** के तहत शक्ति का प्रयोग धारा **446** के कंपनी अधिनियम के बिना नहीं किया जा सकता—आवेदन को मंजूरी दी गई, **E.O.** पुडा द्वारा पारित कंपनी की संपत्ति को फिर से शुरू करने का आदेश अवैध और अमान्य माना गया जबकि प्रतिवादी को आवेदक के पक्ष में विलेख निष्पादन करने का निर्देश दिया गया।

निर्धारित किया गया कि PRTPD अधिनियम की धारा 45 और कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के बीच कोई प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं है। दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्रों में काम करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 446 किसी भी तरह से एस्टेट ऑफिसर की शक्ति को प्रतिबंधित नहीं करती है अगर कोई मामला PRTPD अधिनियम की धारा 45 के दायरे और परिसीमा के भीतर आता है। यह केवल अदालत की अनुमति के बिना विघटन में कंपनी की संपत्ति को अधिकार में लेने या ऐसी संपत्तियों के संबंध में निर्णय लेने के लिए अधिकारियों पर प्रतिबंध बनाती है। यहां तक कि अगर माना जाए और प्रतिवादी संख्या 3 का तर्क स्वीकार किया जाए कि उसके पास 16 मई, 2005 के विवादित आदेश को पारित करने का अधिकार क्षेत्र और सक्षमता है, तो ऐसा अधिकार क्षेत्र केवल अदालत की अनुमति के साथ अभ्यास किया जा सकता है, संपत्ति प्रश्न में आदेश के पास होने की तारीख को विघटन में कंपनी द्वारा धारण की जा रही है और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधान प्रबल होंगे और PRTPD अधिनियम की धारा 45 के तहत शक्तियां कंपनी अधिनियम की धारा 446 के बाहर अभ्यास नहीं की जा सकती हैं।

(पैराग्राफ 16)

यह भी माना गया कि पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45(5) या 45(8) के तहत वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता, प्रश्न में शामिल सवाल का उत्तर नहीं है। यहाँ पर सवाल

यह नहीं है कि पुनरारंभ के आदेश की गुणवत्ता क्या है। वह वैध हो सकता है या इसकी वैधता को अपील या पुनरीक्षण में किसी अन्य आधार पर निश्चित रूप से सवाल किया जा सकता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, सवाल यह है कि कंपनी कोर्ट की अनुमति के बिना निर्णय लेने की अधिकार क्षेत्र क्या है। आदेश अन्यथा वैध या अवैध हो सकता है। मुझे इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और मैं ऐसा करने से खुद को रोकता हूँ। चूंकि आदेश कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, इसलिए वह कंपनी कोर्ट की अनुमति के अभाव में टिक नहीं सकता, जो अकेले ही पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के तहत प्राधिकरणों को कार्यवाही शुरू करने, जारी रखने और यहां तक कि लिक्विडेशन में कंपनी की संपत्ति के संबंध में आदेश को लागू करने का अधिकार दे सकती है।

(पैराग्राफ 16)

संजीव बंसल, अधिवक्ता, आवेदक के लिए।

पुनीत कंसल, अधिवक्ता, आधिकारिक लिक्विडेटर के लिए।

रूपिंदर खोसला, अधिवक्ता, पीयूडीए के लिए।

परमोद कोहली**,** न्यायाधीश।

(1) आवेदक पंजाब वायरलेस सिस्टम्स लिमिटेड, विघटन में कंपनी की संपत्ति का नीलामी खरीदार है। इस आवेदन के माध्यम से, निम्नलिखित निर्देशों के लिए प्रार्थना की गई है:—

(i) आवेदक के पक्ष में आवश्यक हस्तांतरण दस्तावेज को निष्पादित करना;

(ii) पीयूडीए के एस्टेट ऑफिसर द्वारा 16 मई, 2005 को पारित संपत्ति के पुनर्ग्रहण के आदेश को रद्द करना।

(2) आवेदन निम्नलिखित स्वीकार किए गए तथ्यों पर आधारित है:—

(i) प्रतिवादी संख्या 1 कंपनी के लिक्विडेशन के आदेश को 1 फरवरी, 2001 को जारी किया गया और आधिकारिक लिक्विडेटर को कंपनी के लिए लिक्विडेटर के रूप में नियुक्त किया गया था।

(ii) आधिकारिक लिक्विडेटर ने—विज्ञापन दिनांक 10 मार्च, 2006 के माध्यम से आम जनता को यह जानकारी दी कि कंपनी की संपत्ति और संपत्तियों की बिक्री कोर्ट नीलामी के द्वारा की जाएगी जिसे कंपनी कोर्ट द्वारा 20 अप्रैल, 2006 को आयोजित किया जाएगा।

(iii) बोलियों/निविदाओं को आम जनता से सीलबंद लिफाफे के साथ गंभीरता धन के साथ आमंत्रित किया गया। कंपनी की अचल संपत्ति को पट्टा धारित संपत्ति के रूप में दिखाया गया था। अलग-अलग लॉटों में संपत्ति को बेचा जाना था जैसा कि सूचित किया गया था।

(iv) आवेदक ने लॉट नंबर XX के लिए अपनी बोली जमा की जिसमें अन्य बातों के अलावा, फेज-VI, मोहाली में स्थित A-15 पर 10814.45 वर्ग गज भूमि शामिल थी। आवेदक

ने 16 अप्रैल, 2006 को दिनांकित डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से गंभीरता धन के रूप में 36 लाख रुपये भी जमा किए।

(v) नीलामी 20 अप्रैल, 2006 को आयोजित की गई और आवेदक को 6.90 करोड़ रुपये की सबसे उच्च बोली के साथ सफल बोलीदार के रूप में घोषित किया गया, जिसे कंपनी कोर्ट ने मंजूरी दी। शेष राशि 5.54 करोड़ रुपये को आवेदक ने,—पंजाब नेशनल बैंक, मोहाली पर 24 अप्रैल, 2006 को डिमांड ड्राफ्ट नंबर 420170, की तारीख के साथ आधिकारिक लिक्विडेटर के पास जमा किया। आवेदक ने 25 अप्रैल, 2006 को दिनांकित पत्र के माध्यम से और यह भी,—26 अप्रैल, 2006 को दिनांकित पत्र के माध्यम से आधिकारिक लिक्विडेटर प्रतिवादी संख्या 2 से संपत्ति का कब्जा सौंपने का अनुरोध किया।

(3) ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देरी के कारण, आवेदक ने इस अदालत के समक्ष सीए नंबर 451 का 2006 दायर किया, जिसे 25 मई, 2005 को आधिकारिक लिक्विडेटर के बयान पर निपटारा किया गया कि कंपनी के प्रतिनिधि उससे संपर्क कर सकते हैं और वे तय करेंगे कि बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने के साथ कैसे आगे बढ़ें। आवेदक दावा करता है कि उसने अपने पक्ष में बिक्री के दस्तावेज को निष्पादित करने के लिए विभिन्न संचारों के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 2 से संपर्क किया। इस बीच आवेदक ने पीयूडीए के एस्टेट ऑफिसर द्वारा पारित 16 मई, 2005 को दिनांकित आदेश का सामना किया, जो पंजाब क्षेत्रीय और टाउन योजना और विकास अधिनियम, 1995 (जिसे आगे "पीआरटीपीडी अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 45 के तहत संपत्ति (भूमि) का पुनर्ग्रहण के लिए। आदेश में पंजाब शहरी विकास प्राधिकरण (PUDA) के पक्ष में प्लॉट की कीमत की जब्ती, जिसमें 10% ब्याज और जुर्माना शामिल है, की प्रावधान है। आवेदन में यह दलील दी गई है कि यह आदेश एस्टेट ऑफिसर, PUDA- प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा, कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों की पूरी तरह उपेक्षा करके पारित किया गया है और इसे आदि से ही शून्य माना जाना चाहिए।

(4) आधिकारिक लिक्विडेटर ने अपने जवाब में पूरे तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को स्वीकार किया है और यही स्थिति प्रतिवादी नंबर 3 की भी है। प्रतिवादी नंबर 3 द्वारा उठाई गई केवल दलील यह है कि 16 मई, 2005 की चुनौतीग्रस्त आदेश को एस्टेट ऑफिसर, PUDA ने पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया है जो एक विशेष अधिनियम है और वह कंपनी अधिनियम की धारा 446 द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसके अलावा यह दलील दी गई है कि आवेदक के पास पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 (5) के तहत एस्टेट ऑफिसर, PUDA के आदेश के खिलाफ चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, PUDA के सामने अपील दायर करने का वैकल्पिक उपचार है और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर (अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष पुनरीक्षण भी किया जा सकता है। सारांश में, उठाई गई दलील यह है कि कंपनी कोर्ट इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। आदेश में पीयूडीए के पक्ष में प्लॉट की कीमत की जब्ती के लिए भी प्रावधान है जिसमें 10% ब्याज और जुर्माना शामिल है। आवेदन में यह दलील दी गई है कि यह आदेश पीयूडीए- प्रतिवादी संख्या 3 के एस्टेट ऑफिसर द्वारा कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों की पूरी तरह अनदेखी करके पारित किया गया है और इसे प्रारंभ से ही शून्य माना जाना चाहिए।

(4) आधिकारिक लिक्विडेटर ने अपने जवाब में पूरे तथ्यात्मक पृष्ठभूमि को स्वीकार किया है और प्रतिवादी संख्या 3 का भी यही मामला है। प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा उठाई गई एकमात्र दलील यह है कि 16 मई, 2005 को विवादित आदेश पीयूडीए के एस्टेट ऑफिसर द्वारा उनकी शक्तियों के तहत PRTPD अधिनियम की धारा 45 के तहत पारित किया गया है जो एक विशेष कानून है और यह कंपनी अधिनियम की धारा 446 द्वारा नियंत्रित नहीं है। इसके अलावा यह दलील दी गई है कि आवेदक के पास पीयूडीए के एस्टेट ऑफिसर के आदेश के खिलाफ पीयूडीए अधिनियम की धारा 45 (5) के तहत पीयूडीए के मुख्य प्रशासक के समक्ष अपील दायर करने का विकल्प उपचार है और साथ ही मुख्य प्रशासक (अपीलीय प्राधिकरण) द्वारा पारित आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के समक्ष संशोधन भी। सारांश में, उठाई गई दलील यह है कि कंपनी कोर्ट इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

(5) मैंने आवेदक के लिए श्री संजीव बंसल, अधिवक्ता, आधिकारिक तरलकर्ता के लिए श्री पुनीत कंसल, अधिवक्ता, और प्रतिवादी संख्या 3 के लिए श्री रुपिंदर कोहसला, अधिवक्ता की बातें विस्तार से सुनी हैं।

(6) कंपनी अधिनियम की धारा 446, तरलीकरण में चल रही कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाहियों के संस्थापन और जारी रखने को न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिबंधित करती है। सुविधा के लिए, कंपनी अधिनियम की धारा 446 को नीचे इस प्रकार पुन: प्रस्तुत किया गया है:—

"446. तरलीकरण आदेश पर मुकदमे स्थगित:—

(1) जब एक तरलीकरण आदेश किया गया हो या आधिकारिक तरलकर्ता को अस्थायी तरलकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया हो, कोई मुकदमा या अन्य कानूनी कार्यवाही आरंभ नहीं की जाएगी, या यदि तरलीकरण आदेश की तारीख पर लंबित हो, तो उसे जारी नहीं रखा जाएगा, कंपनी के खिलाफ, ट्रिब्यूनल की अनुमति के बिना और ट्रिब्यूनल द्वारा लगाए गए शर्तों के अधीन।"

(2) (2) ट्रिब्यूनल, किसी भी अन्य विधि में समय-समय पर निहित किसी भी बात के बावजूद, निम्नलिखित का मनोरंजन करने या निपटाने का अधिकार क्षेत्र रखेगा—

(3) (a) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा या कार्यवाही;

(4) (b) कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किया गया कोई भी दावा (भारत में उसकी किसी भी शाखा द्वारा या उसके खिलाफ दावे सहित);

(5) (c) धारा 3 91 के तहत कंपनी के संबंध में या उसके द्वारा किया गया कोई भी आवेदन;

(6) (d) प्राथमिकताओं का कोई भी प्रश्न या किसी अन्य प्रश्न जो कानून या तथ्य के बारे में हो, जो कंपनी के लिक्विडेशन के दौरान संबंधित हो सकता है या उत्पन्न हो सकता है;

(7) चाहे ऐसा मुकदमा या कार्यवाही शुरू की गई हो, या शुरू की जा रही हो, या ऐसा दावा या प्रश्न उत्पन्न हुआ हो या उत्पन्न हो रहा हो या ऐसा आवेदन किया गया हो या किया जा रहा हो चाहे वह कंपनी के लिक्विडेशन के आदेश से पहले या बाद में हो, या कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1960 (65 of 1960) के प्रारंभ होने से पहले या बाद में हो।

(3) * * *

(4) उप-धारा (1) या उप-धारा (3) में कुछ भी ऐसा नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के समक्ष अपील में लंबित किसी कार्यवाही पर लागू होगा।"

(7) 16 मई, 2005 की तारीख वाला आदेश प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा PRTPD अधिनियम की धारा 45 के तहत शक्तियों के प्रयोग में पारित किया गया है और प्रतिवादी संख्या 3 ने कानून के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपचार की शरण ली है और यह भी कि प्रावधान एक विशेष कानून है और, इस प्रकार, कंपनी अधिनियम की धारा 446 पर अधिरोपित होता है। PRTPD अधिनियम की धारा 45 की जांच करना उचित समझा गया है जिसे यहां नोट किया गया है:—

45. स्थानांतरण के उल्लंघन के लिए पुनर्ग्रहण और जब्ती:—(1) जहां किसी भी स्थानांतरणकर्ता से किसी भी विचार राशि का भुगतान, या किसी किश्त का, धारा 43 के अंतर्गत किसी भूमि या भवन या दोनों के स्थानांतरण के कारण, चूक होती है, तो एस्टेट अधिकारी किसी लिखित सूचना के द्वारा, स्थानांतरणकर्ता को तीस दिनों की अवधि में यह दिखाने के लिए कह सकता है, कि क्यों प्राधिकरण द्वारा निर्धारित कोई दंड उस पर न लगाया जाए: यह प्रदान किया गया है कि लगाया गया जुर्माना हस्तांतरणकर्ता से देय राशि से अधिक नहीं होगा।

(2) हस्तांतरणकर्ता द्वारा, यदि कोई हो, दिखाए गए कारणों पर विचार करने के बाद और उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, एस्टेट ऑफिसर लिखित में दर्ज किए गए कारणों के लिए, जुर्माना लगाने का आदेश दे सकता है और निर्देश दे सकता है कि जुर्माने के साथ देय राशि का भुगतान हस्तांतरणकर्ता द्वारा आदेश में निर्दिष्ट की गई अवधि के भीतर किया जाए।

(3) यदि हस्तांतरणकर्ता उप-धारा (2) के तहत बनाए गए आदेश के अनुसार देय राशि और जुर्माना दोनों का भुगतान करने में विफल रहता है या हस्तांतरण की किसी अन्य शर्त का उल्लंघन करता है, तो एस्टेट ऑफिसर, लिखित नोटिस द्वारा, हस्तांतरणकर्ता को तीस दिनों की अवधि के भीतर यह दिखाने का कारण बताने के लिए कह सकता है, कि भूमि या भवन या दोनों के पुनर्ग्रहण का आदेश, जो भी मामला हो, और उसके संबंध में अदा की गई किसी भी राशि की पूरी या किसी भाग की जब्ती, जो कि किसी भी मामले में कुल विचार राशि, ब्याज और भूमि या भवन या दोनों के हस्तांतरण के संबंध में देय अन्य बकाया राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(4) उपधारा (3) के तहत दी गई सूचना के अनुसरण में स्थानांतरणकर्ता द्वारा दिखाए गए कारणों को, यदि कोई हो, विचार करने के बाद और उसी के संबंध में वह जो भी साक्ष्य प्रस्तुत करे और उस मामले में सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, एस्टेट अधिकारी लिखित में कारण दर्ज कर, ऐसे आदेश जारी कर सकता है कि भूमि या भवन या दोनों को, जैसा भी मामला हो, पुनः प्राप्त किया जाए और उपधारा (3) में प्रदत्त के अनुसार स्थानांतरण के संदर्भ में चुकाई गई राशि के पूरे या किसी भाग के जब्ती का निर्देश दिया जाए।

(5) किसी भी व्यक्ति जो धारा 44 के तहत या इस धारा के तहत एस्टेट अधिकारी द्वारा जारी आदेश से प्रभावित होता है, वह आदेश के उसे संप्रेषित होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, मुख्य प्रशासक के पास उस रूप और तरीके में अपील कर सकता है, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है:

बशर्ते कि मुख्य प्रशासक उस अवधि के तीस दिनों के समाप्त होने के बाद भी अपील को मनोरंजक रूप से सुन सकते हैं, यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता समय पर अपील दर्ज करने से किसी पर्याप्त कारण से रोका गया था।

(6) चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, अपील की सुनवाई के बाद, अपील किए गए आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसे बदल सकता है या पलट सकता है और वह ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे।

(7) चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चाहे अपनी पहल पर या इस संबंध में प्राप्त किसी आवेदन पर, आदेश की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर किसी भी समय, ऐसी कार्यवाही का रिकॉर्ड मांग सकता है जिसमें एस्टेट ऑफिसर ने ऐसे आदेश पारित किए हैं ताकि वह खुद को ऐसे आदेश की वैधता या उचितता के बारे में संतुष्ट कर सके और वह उस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जो वह उचित समझे:

बशर्ते कि चीफ एडमिनिस्ट्रेटर इस धारा के तहत किसी भी व्यक्ति के लिए हानिकारक कोई आदेश पारित नहीं करेगा बिना उसे मामले में सुनवाई का उचित अवसर दिए।

(8) जहाँ कोई व्यक्ति मुख्य प्रशासक के किसी आदेश से व्यथित है, जो उप-धारा (6) या उप-धारा (7) के तहत मामले का निर्णय करता है, वह ऐसे आदेश के उसे संप्रेषण की तारीख से तीस दिनों के भीतर, उस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के पास लिखित में संशोधन के लिए एक आवेदन कर सकता है और राज्य सरकार मुख्य प्रशासक के आदेश को पुष्टि कर सकती है, बदल सकती है या रद्द कर सकती है।"

(8) कंपनी अधिनियम की धारा 446 के दायरे, अर्थ और लागूता की जांच माननीय सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न कानूनों सहित विशेष कानूनों के संबंध में की है, इसलिए कुछ निर्णयों का उल्लेख करना उचित समझा गया है।

(9) केरल राज्य वित्तीय उपक्रम लिमिटेड बनाम आधिकारिक लिक्विडेटर, केरल उच्च न्यायालय, (1) के मामले में नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित किया गया है:—

"13. कंपनी की संपत्तियों से ऋणों की वसूली के संबंध में कुछ विशेष अधिनियमों को छोड़कर, जिसे तरलीकरण के लिए निर्देशित किया गया हो, कंपनी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे। तरलीकरण का आदेश पास करने से पहले बनाया गया कोई अटैचमेंट आदेश शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन फिर न्यायालय की अनुमति से कंपनी अधिनियम की धारा 446 के अनुसार कार्यान्वयन कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति होनी चाहिए [देखें ओवेशन इंटरनेशनल (इंडिया) (प्रा.) लिमिटेड, रे.2],"

23. यह सच हो सकता है कि अगर SICA जैसा कोई अधिनियम मौजूद है, तो उसके प्रावधान कंपनी अधिनियम पर प्राबल्य पा सकते हैं। लेकिन एक स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, कंपनी अधिनियम को एक अन्य अधिनियम के लिए रास्ता देने वाला नहीं माना जा सकता है जो केवल वसूली का प्रावधान करता है और पार्टियों के अधिकारों और दायित्वों को सामान्य कानून के तहत निपटाने के लिए छोड़ देता है [देखें NGEF Ltd. versus Chandra Developers (P) Ltd. And Jay Engg. Works Ltd. versus Industry Facilitation Council]।"

(10) Titan Industries Ltd. versus Punwire Mobile Communications Ltd. (2) के मामले में इस प्रकार देखा गया है:—

[इस भाग में टाइटन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड बनाम पनवायर मोबाइल कम्युनिकेशंस लिमिटेड मामले का निर्णय या विचारधारा का कोई उद्धरण या संदर्भ होगा, जिसे यहाँ प्रस्तुत नहीं किया गया है।]

"17. मेरे विचार में, उपरोक्त दावा स्वीकार्य है। धारा 537 में स्पष्ट शब्दों में निर्देशित है कि किसी कंपनी के खिलाफ लिक्विडेशन याचिका की शुरुआत के बाद, उसकी संपत्तियों या प्रभावों की अटैचमेंट का आदेश तभी वैध होगा जब वह अदालत की अनुमति से हो। जहाँ तक लिक्विडेशन प्रक्रिया की शुरुआत का सवाल है, कंपनी अधिनियम की धारा 441 में कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी गई है। वहाँ यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अदालत द्वारा किसी कंपनी का लिक्विडेशन, लिक्विडेशन याचिका के प्रस्तुत किए जाने की तारीख से प्रभावी माना जाएगा। यह विवादित नहीं है कि प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ लिक्विडेशन प्रक्रियाएँ 2 फरवरी, 2000 को अटैचमेंट के आदेश पारित होने से पहले शुरू हो चुकी हैं। इस अदालत की अनुमति के बिना पारित अटैचमेंट का आदेश, धारा 537 के निर्देश के अनुसार विचार किया जाना चाहिए जो शून्य है। एक शून्य आदेश वह होता है जो कानून की नजर में मौजूद नहीं होता। तथ्य यह है कि 2 फरवरी, 2000 का आदेश, यानी अटैचमेंट का आदेश, कानून की नजर में एक ऐसा आदेश पाया गया है जो मौजूद नहीं है, इस आधार पर (2 फरवरी, 2000 के आदेश पर आधारित) 18 दिसंबर, 2000 का रिसीवर नियुक्ति का आदेश भी आवश्यक रूप से निरस्त/समाप्त माना जाना चाहिए और उसी कारण से कानून की नजर में अवैध माना जाना चाहिए।"

(11) दूसरी ओर, प्रतिवादी संख्या 3 के लिए प्रस्तुत हो रहे श्री रुपिंदर खोसला, सीखे हुए वकील ने भी निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया है:—

(12) दामजी वलजी शाह और अन्य (सी.ए. संख्या 676 के 1962 में), 2. घनश्यामदास (सी.ए. संख्या 677 के 1962 में) बनाम भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य, (3)।

"18. यह कंपनी अधिनियम की धारा 446 की उप-धारा (2) द्वारा कंपनी कोर्ट को प्रदान की गई विशिष्ट अधिकारिता को देखते हुए है जो किसी भी मुकदमे या कार्यवाही को सुनवाई या निपटान करने की शक्ति देती है जो कंपनी के खिलाफ या कंपनी द्वारा या उसके खिलाफ किए गए किसी भी दावे के संबंध में हो कि उप-धारा (1) में उल्लिखित प्रतिबंध को तरलीकरण का आदेश किए जाने के बाद कंपनी के खिलाफ कार्यवाहियों की शुरुआत पर लगाया गया है। एलआईसी अधिनियम की धारा 41 को देखते हुए कंपनी कोर्ट को उन मामलों की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार नहीं है जिसके निर्णय की शक्ति ट्रिब्यूनल को उस अधिनियम के तहत प्रदान की गई है। यह अस्वीकृत नहीं है कि ट्रिब्यूनल को एलआईसी अधिनियम की धारा 15 के तहत निगम द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मामलों की सुनवाई और निर्णय करने का अधिकार है। इसका परिणाम यह होना चाहिए कि कंपनी अधिनियम की धारा 446 की उप-धारा (1) के अनुसारी प्रावधान ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित प्रक्रियाओं पर या उसके समक्ष शुरू की जा सकने वाली प्रक्रियाओं पर लागू नहीं होंगे।"

19. इसके अलावा, विशेष अधिनियम अर्थात् एलआईसी अधिनियम के प्रावधान सामान्य अधिनियम अर्थात् कंपनी अधिनियम के प्रावधानों पर प्रबल होंगे जो सामान्य रूप से कंपनियों से संबंधित एक अधिनियम है।"

(13) घनश्यामदास (सुप्रा) के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट एक केंद्रीय अधिनियम के अनुप्रयोग का विचार कर रहा था। चूंकि दोनों अधिनियम यानी भारतीय जीवन बीमा अधिनियम और कंपनी अधिनियम संसद द्वारा पारित किए गए हैं और एलआईसी अधिनियम विशेष रूप से मुद्दे से संबंधित है, यह माना गया है कि एलआईसी अधिनियम एक विशेष स्टेच्यूट होने के कारण, जो सामान्य रूप से कंपनियों से संबंधित कंपनी अधिनियम पर प्रबल प्रभाव रखेगा।

(14) हालांकि, वर्तमान मामले में स्थिति अलग है। कंपनी अधिनियम एक केंद्रीय विधान है, जबकि पीआरटीपीडी अधिनियम, एक राज्य विधान है। कंपनी अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुसूची-VII की सूची-1 में प्रविष्टि 43 के अधीन संघीय विधायिका द्वारा बनाया गया है जबकि पीआरटीपीडी अधिनियम को संविधान के अनुसूची-VII की स्टेट लिस्ट (List-II) में प्रविष्टि के अधीन बनाया गया है। कंपनी अधिनियम को एक विशेष अधिनियम माना जाता है क्योंकि यह कंपनियों से संबंधित लगभग सभी मुद्दों को देखता है। कंपनी अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम होने के नाते, कंपनियों से संबंधित किसी भी मुद्दे पर राज्य विधानसभा द्वारा बनाई गई सभी अन्य राज्य कानूनों के प्रावधानों पर प्रबल प्रभाव रखेगा। यह मानते हुए कि पीआरटीपीडी अधिनियम भी एक विशेष अधिनियम है और कंपनी अधिनियम की धारा 446 और पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के प्रावधानों के बीच स्पष्ट संघर्ष है, फिर भी संघ विधायिका द्वारा बनाया गया कानून प्रबल प्रभाव रखेगा और उस हद तक राज्य कानून ग्रहण शास्त्र के सिद्धांत के तहत अकार्यकारी माना जाएगा। संसद और राज्य विधानसभा की शक्तियां भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत निर्धारित हैं। संघ विधायिका के पास भारतीय संविधान की सूची- I (यूनियन लिस्ट) अनुसूची-VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कानून बनाने का विशेषाधिकार और सक्षमता है जो उसके लिए विधान का क्षेत्र है। धारा (3) के अधीन राज्य विधायिका के पास विशेषाधिकार है कि वह सूची-II के मामलों में कानून बनाए जो VII अनुसूची (राज्य सूची) में सूचीबद्ध हैं। कंपनी अधिनियम और पीआरटीपीडी अधिनियम क्रमशः भारतीय संविधान के अनुच्छेद 246 (1) और (3) के तहत उनके विधायी अधिकारों का प्रयोग करते हुए संबंधित विधायिकाओं द्वारा बनाए गए हैं।

(15) प्रश्न यह है कि संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच स्पष्ट या अनुमानित विरोधाभास की स्थिति में किस अधिनियम को प्राथमिकता और अधिकारी प्रभाव मिलेगा। ऐसी स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून को प्राथमिकता मिलनी चाहिए और ग्रहणाधिकार का सिद्धांत आकर्षित होगा।

(16) हालांकि, वर्तमान मामले में, मुझे नहीं लगता कि पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 और कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के बीच कोई स्पष्ट विरोधाभास है। दोनों कानून अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं। कंपनी अधिनियम की धारा 446, एस्टेट अधिकारी की शक्ति को उस मामले को निपटाने के लिए किसी भी तरह से सीमित नहीं करती है अगर कोई मामला पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के दायरे और परिसीमाओं के भीतर आता है। यह केवल अधिकारियों के लिए तरलीकरण में चल रही कंपनी की संपत्ति पर कब्जा करने या ऐसी संपत्तियों के संबंध में निर्णय करने के लिए न्यायालय की अनुमति के बिना आगे बढ़ने के लिए एक प्रतिबंध बनाता है। यहां तक कि अगर मान लिया जाए और प्रतिवादी नंबर 3 के तर्क को स्वीकार कर लिया जाए कि उसे 16

मई, 2005 के विवादित आदेश को पारित करने का अधिकार क्षेत्र और सक्षमता है, तो भी ऐसा अधिकार क्षेत्र केवल अदालत की अनुमति के साथ ही प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि प्रश्न में आई संपत्ति आदेश के दिन लिक्विडेशन में कंपनी द्वारा रखी गई थी और इस उद्देश्य के लिए कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधान प्रबल होंगे और पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के तहत शक्तियों का प्रयोग कंपनी अधिनियम की धारा 446 के बाहर नहीं किया जा सकता। पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 (5) या 45 (8) के तहत वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता, प्रश्न में शामिल सवाल का उत्तर नहीं है। यहाँ सवाल आदेश के पुनरारंभ की गुणवत्ता का नहीं है। वह वैध हो सकता है या इसकी वैधता को किसी अन्य आधार पर अपील या पुनरीक्षण में निश्चित रूप से सवाल किया जा सकता है, हालांकि, वर्तमान मामले में, सवाल यह है कि कंपनी कोर्ट की अनुमति के बिना निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र क्या है। आदेश अन्यथा वैध या अवैध हो सकता है। मुझे इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है और मैं ऐसा करने से खुद को रोकता हूँ। चूंकि आदेश कंपनी अधिनियम की धारा 446 के प्रावधानों के विपरीत पारित किया गया है, इसलिए वह कंपनी कोर्ट की अनुमति के अभाव में टिक नहीं सकता, जो अकेले ही पीआरटीपीडी अधिनियम की धारा 45 के तहत प्राधिकरणों को कार्यवाही शुरू करने, जारी रखने और यहां तक कि लिक्विडेशन में कंपनी की संपत्ति के संबंध में आदेश को लागू करने का अधिकार दे सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के केरल राज्य वित्तीय उद्यम लिमिटेड के मामले के निर्णय का अनुपात वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर सीधे तौर पर लागू होता है।"

(17) उपरोक्त कहे गए कारणों के लिए, 16 मई, 2005 को पास किया गया एस्टेट अधिकारी, पुडा-प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा कंपनी की संपत्ति का पुनर्ग्रहण करने का आदेश अवैध और अमान्य है, इसे कंपनी कोर्ट की अनुमति के बिना पास किया गया है और कानून की नजर में यह आदेश शून्य और अदृश्य माना जाएगा। प्रतिवादी संख्या 3 को उक्त आदेश को लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती जिसका कोई कानूनी अस्तित्व नहीं है। (18) उपरोक्त के परिणामस्वरूप, मैं प्रतिवादी संख्या 2 को कंपनी कोर्ट द्वारा 20 अप्रैल, 2006 को पास किए गए आदेश के आधार पर आवेदक के पक्ष में आवश्यक विक्रय पत्र निष्पादित करने का निर्देश देता हूँ। चूंकि आधिकारिक तरलकर्ता ने अपने जवाब में स्पष्ट रूप से बताया है कि संपत्ति स्वतंत्र होल्ड संपत्ति है और यह केवल असावधानी की गलती के कारण था कि इसे पट्टा होल्ड संपत्ति के रूप में सूचित किया गया था, इसलिए विक्रय पत्र आवेदक को स्वतंत्र होल्ड और अनावरोधित अधिकारों का संवहन करेगा। (19) सी.ए. का निपटान किया गया है।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मिताली अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी , हरियाणा